169

संख्या-300/VI-2/2012-51(5)2011

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 26 नवम्बर, 2012

विषयः- अनुसूचित जनजाति उपयोजना वित्तीय वर्ष 2012-13 (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 917/दो-2355-अ0जा0यो0/2012-13 दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु राज्य के समस्त 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को विभिन्न सर्टिफिकेट-कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्राविधानित ₹14.00 लाख (चौदह लाख) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

2- उक्त प्रशिक्षण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली-2008 में की गयी व्यवस्थानुसार प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का चयन कर उनके माध्यम से प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों/लाभार्थियों के चयन उपरान्त जनपदवार/विकास खण्डवार उनके पते सहित सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

............(2)

4– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथाआवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्यक में अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–796–जनजाति उपयोजना–01–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–42–अन्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या 300/VI-2/2012–51(5)2011 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।